तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2503-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः **11 अप्रैल, 2023**

रि.या. (सि.) 4414/2023

डॉ. सुरेंद्र कुमार ....याचिकाकर्ता

द्वारा : अधिवक्ता (उपस्थिति नहीं दी गई)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य। ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री निधि रमन, कें.स.स्था.अधि. के साथ श्री प्रेरणा ढल्ल (जीपी) एवं श्री जुबिन सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिए |
उप.नि. हरेन्द्र सिंह, एसएसबी।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (मौखिक)

सि.वि.आ. 16974/2023 (छूट)

1. न्यायसंगत अपवादों के अधीन अनुमति दी जाती है ।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

रि.या.(सि.) 4414/2023

3.वर्तमान याचिका दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थीगण को डीएसीपी योजना के तहत 10,000 रुपये का ग्रेड पे देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत के लिए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.07. 2022 एवं दिनांक 29. 08. 2022 को आवेदन किया जिसमें प्रत्यर्थीगण से डीएसीपी योजना के तहत 10,000 रुपये का ग्रेड वेतन देने का अनुरोध किया।इसके जवाब में, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 12.09.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि डीएसीपी योजना के तहत 10,000/- रुपये के ग्रेड पे की मंजूरी के लिए मामला गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। मामले की प्रगति मामले की प्राप्ति पर सूचित की

जायेगी|

5.उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम, सक्षम प्राधिकारी/प्रत्यर्थी सं.1 को आज से छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदनों पर अंतिम तर्कसंगत निर्णय लेने एवं तत्पश्चात् लिये गये निर्णय को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं|।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण के निर्णय से व्यथित महसूस करता है, तो वह उचित फोरम में जा सकता है।

(सुरेश कुमार कैत)

न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायमूर्ति

11अप्रैल, 2023/एबी

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2503-डीबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*